## न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

## पीठासीन अधिकारी : नन्दकिशोर राजोरा, आर.ए.एस.

**राजस्व अपील संख्याः 23/2021**

**अपीलाण्ट**

नैनाराम पुत्र श्री खीमाजी, जाति सीरवी, निवासी बिजोवा, तहसील रानी, जिला पाली

**बनाम**

**रेस्पोडेण्ट**

1. नारायणलाल पुत्र खेताजी
2. प्यारी बाई पत्नी हकाजी
3. गुलाराम पुत्र खेतारामजी
4. पुखराज पुत्र खेतारामजी

समस्त जातिगण सीरवी, निवासीगण बिजोवा, तहसील रानी, जिला पाली

5. राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार रानी

**अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

उपस्थित :-

श्री सुमेर सिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट

श्री पवन सिंघल, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेण्ट्स

**-: निर्णय :-**

**दिनांकः-** 13/1/2023

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रानी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 05ए/2016 नया राजस्व प्रकरण संख्या 07/2020 बउनवान नेनाराम बनाम नारायणलाल में पारित निर्णय दिनांक 19.02.2021 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अन्तर्गत धारा 251-क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अपीलाण्ट की खातेदारी आराजी की कृषि भूमि ग्राम बिजोवा, तहसील रानी के खसरा नम्बर 49/2 रकबा 1.66 हैक्टेयर किस्म जाव अव्वल में आने जाने हेतु नया रास्ता खसरा नम्बर 57/5 रकबा 2.93 हैक्टेयर की जोत में से होकर रास्ता उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया। उक्त प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेण्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया और दौराने प्रकरण प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार अन्य रास्ता प्रस्तावित किया गया, जिस अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 04.09. 2017 को पारित कर खसरा संख्या 54/3, 54/4, 52/2, 52/3 में से 4 मीटर चौड़ाई का रास्ता दिये जाने बाबत् निर्णय पारित किया गया। उपरोक्त निर्णय के विरूद्ध रेस्पोडेण्ट की ओर से अपील माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली के न्यायालय में अपील संख्या 57/2016 पेश की गई, जो दिनांक 16.08.2018 को खारिज की गई। उपरोक्त निर्णय के विरूद्ध रेस्पोडेण्ट द्वारा निगरानी संख्या 6153/2018 माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में पेश की, जो दिनांक 26.12.2019 को आंशिक स्वीकार कर दोनो न्यायालयों के निर्णय को निरस्त करते हुए निर्देशित किया कि तहसीलदार स्वयं दोनो पक्षो की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार कर पक्षकारान के मध्य सुविधाजनक रास्ता कायम कर निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा माननीय मण्डल द्वारा पारित निर्णय की पालना में प्रकरण पुनः दर्ज कर और पुनः मौका रिपोर्ट तलब की गई, जिसमें खसरा संख्या 57/5 में से रास्ता प्रस्तावित किया गया। उपरोक्त मौका रिपोर्ट पर रेस्पोडेण्ट की ओर से आपत्तियां पेश की गई, जिस पर पुनः मौका रिपोर्ट तलब की गई, जो दिनांक 17.12. 2020 को अधीनस्थ न्यायालय में पेश की गई। उसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह तो प्रमाणित पाया कि अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 49/2 पर पहुंचने का कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है, लेकिन तहसीलदार की उक्त मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 17.12.2020 के नजरी नक्शा अनुसार क्रमांक 4 खसरा संख्या 60 व 59(मार्क आर से एस) में दर्शित दूरी 248 मीटर है जो लघुतम है, जबकि खसरा संख्या 57/5 में से चाहा गया रास्ता लघुतम व निकटतम नहीं है, इसलिए सुविधा के लिए नया मार्ग नहीं दिया जाना बताते हुए एवं अपीलाण्ट द्वारा चाहे गये रास्ते में खातेदारो के

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

पशुओं हेतु टीनशेड बने होना बताते हुए अपीलाण्ट के प्रकरण को खारिज किया है। वास्तव में खसरा संख्या 59 व 60 में अनेकानेक टुकड़े हो रखे है। जहां से रास्ता दिया जाना संभव नहीं है। मौका रिपोर्ट में लघुतम मार्ग की गलत व्याख्या की गई है। यह मार्ग मुख्य सड़क से लगभग 1000 मीटर से अधिक दूरी पर है। अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि में आने जाने के लिए सबसे लघुतम व निकटतम रास्ता खसरा संख्या 57, 57/1 से 57/5 में से ही है। अंतिम मौका रिपोर्ट में यह अंकित है कि खसरा संख्या 57/4 व 57/5 में से रास्ता हेतु मौका रिपोर्ट दिनांक 05.10.2020 तैयार की थी और खसरा नम्बर 57/5 में से रास्ता प्रस्तावित किया गया था, उस समय टीनशेड का निर्माण नहीं था, लेकिन दिनांक दिनांक 07.12.2020 को पुनःनिरीक्षण के समय मौके पर टीनशेड का निर्माण होना पाया गया, जो अपीलाण्ट को अनुतोष प्राप्त नहीं हो सके, इसी मंशा से निर्माण किया गया है। उपरोक्त समस्त तथ्यों की स्थिति पत्रावली पर उपलब्ध होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त किया जावे तथा अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 49/2 में मुख्य सड़क से आने जाने हेतु खसरा संख्या 57/5 में से 4 मीटर चौड़ाई का रास्ता माफिक रिपोर्ट अनुसार दिये जाने आदेश फरमावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांटगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर अपीलाण्ट की खातेदारी आराजी की कृषि भूमि ग्राम बिजोवा, तहसील रानी के खसरा नम्बर 49/2 रकबा 1.66 हैक्टेयर किस्म जाव अव्वल में आने जाने हेतु नया रास्ता खसरा नम्बर 57/5 रकबा 2.93 हैक्टेयर की जोत में से होकर रास्ता उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश पारित किया है। अपीलांट की खातेदारी आराजी में आने जाने हेतु खसरा नंबर 60 व 59 से होते हुए रास्ता दिया जाता है तो अपीलांट की खातेदारी में पहुचने हेतु कम आराजी की आवश्यकता पडती है एवं अपीलांटगण पूर्व में अपनी आराजी में इसी रास्ते से आते जाते रहे है। अपीलांट को खसरा नंबर 60 व 59 के खातेदारो से रास्ते की मांग की जानी चाहिये, किन्तु अपीलांटगण ने रेस्पोडेन्ट की खातेदारी आराजी में से रास्ता लेने हेतु गलत

राजस्व अपील अधिकारी पाली

तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। जिससे रेस्पोडेन्ट की खातेदारी आराजी से अपीलांटगण को रास्ता दिया जाना कानूनन उचित नहीं है। अपीलांटगण के पास खसरा नंबर 60 व 59 में से होते हुए अपनी खातेदारी आराजी में आने-जाने हेतु रास्ता मौजूद होने के बावजूद उक्त तथ्यो को छुपाते हुए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने समस्त मौका रिपोर्ट का ध्यान में रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि विधिसम्मत है। अत अपील खारिज फरमाई जावे। अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपने कथनो के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये- 2017(1) RRT 423, 2014(1) RRT 40, 2016(1) RRT 649, 2016(1) Curr cc 145, 2019(2) RRT 1543

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम बिजोवा, तहसील रानी के खसरा नम्बर 49/2 रकबा 1.66 हैक्टेयर किस्म जाव अव्वल में आने जाने हेतु नया रास्ता खसरा नम्बर 57/5 रकबा 2.93 हैक्टेयर की जोत में से होकर रास्ता उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार रानी से रिपोर्ट तलब की तथा रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया। तहसीलदार रानी द्वारा मौका/जांच रिपोर्ट जरिये पत्रांक/राजस्व/2020/1617 दिनांक 17.12.2020 को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की तहसीलदार द्वारा जो जांच रिपोर्ट तैयार की गई, उसमें अपीलाण्ट की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 49/2 में पहुंच हेतु मार्ग की आत्यन्तिक आवश्यकता एवं चाहा गया मार्ग सुविधाजनक उपयोग हेतु नहीं होना साबित कर अपनी विस्तृत रिपोर्ट में आवेदित भूमि से मार्गो की दूरी को रेखांकित किया, यदि खसरा नं. 57/5 में से रास्ता दिया जाता है तो उसकी कुल लंबाई 288 मीटर है। वही खसरा नम्बर 60 व 59 से होकर कुल रास्ते की लंबाई 248 मीटर होती है। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में खसरा नम्बर 60 व 59 में से होकर रास्ता दिया जाने पर तुलनात्मक रूप से कम दूरी बनना जाहिर किया है, लेकिन इसी रिपोर्ट में यह भी अंकित किया गया है कि

राजस्व अपील अधिकारी
पाली

"नजरी नक्शे में दर्शित रास्ते खसरा संख्या 59 व 60 की माठ पर दर्शाया गया है लेकिन मौके पर खसरा नम्बर 58 व 59 तथा 63 व 60 के मध्य रेकर्ड में दर्शित माठ मौके पर मौजूद नहीं है तथा खसरा नम्बर 58 व 59 के खातेदार एक ही होने के कारण रेकर्ड में दर्ज माठ मौके पर मौजूद नहीं है। अतः बीच में से रास्ता देना उचित नहीं है।"

जिससे स्पष्ट होता है कि 58 व 59 एक ही खातेदार की होने से इनके मध्य माठ नहीं होकर सम्पूर्ण भूमि एक चक के रूप में है। जिसमें से रास्ता दिया जाने से उक्त भूमि दो भागो में विभक्त होगी, जो न्यायोचित नहीं है। यहां यह तथ्य भी रेखांकित किया जाना प्रांसगिक है, कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खसरा नम्बर 57/5 में से रास्ता दिए जाने पर उसमें रेस्पोडेण्ट के टीम शेड वगैरह बने होना अंकित किया गया है। इस संदर्भ में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का उल्लेख किया जाना आवश्यक है, जिसमें यह अंकित किया गया है कि

"दिनांक 05.10.2020 को उक्त का मौका निरीक्षण किया गया था जिसमें 57/5 में से रास्ता प्रस्तावित किया गया था, जिसकी मौका रिपोर्ट संलग्न है मौका निरीक्षण(दिनांक 05.10.2020 को) के समय टीनशेड का निर्माण नहीं किया गया था, लेकिन आज दिनांक 07.12.2020 को मौके पर टीनशेड का निर्माण किया हुआ है।"

जिससे स्पष्ट होता है कि रेस्पोडेण्ट द्वारा अपीलाण्ट को रास्ता नहीं प्रदान करने की मंशा से जानबुझकर टीनशेड का निर्माण किया है। केवल इस आधार पर अपीलाण्ट को अपने विधिक अधिकारो से वंचित नहीं किया जा सकता है। हमारे विनम्र मत में यदि धारा '251 ए' के आज्ञापक प्रावधानों की पालना पूर्ण हो चुकी है तो इस धारा में काश्तकार को रास्ता उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक है। अपीलाधीन प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा माननीय राजस्व मण्डल द्वारा निगरानी के निर्णय में दिए गए निर्देशों के अनुसार विचार किए बिना ही अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है, जिसे किसी भी रूप में विधिसम्मत नहीं माना जा सकता है।

अपीलाधीन प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल द्वारा दिए गए निर्देशों व धारा '251 ए' के आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं कर जैर अपील आदेश पारित किया गया है। यह '251 ए'

राजस्व अपील अधिकारी
पाली

के प्रावधानों एवं मंशा के विपरीत है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश समर्थन योग्य नहीं माना जा सकता है।

परिणाम स्परुप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रानी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 05ए/2016 नया राजस्व प्रकरण संख्या 07/2020 बउनवान नेनाराम बनाम नारायणलाल में पारित निर्णय दिनांक 19.02.2021 को अपास्त किया जाता है। अपीलाण्ट को अपनी खातेदारी भूमि मौजा बिजोवा, तहसील रानी के खसरा नम्बर 49/2 रकबा 1.66 हैक्टेयर किस्म जाव अव्वल में आने जाने हेतु नया रास्ता मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 17.12.2020 के अनुसार खसरा संख्या खसरा नम्बर 57/5 में से रास्ता दिये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार रानी को निर्देशित किया जाता है कि तद्नुसार धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही करे। निर्णय की प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 13.01.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नन्दकिशोर राजोरा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
पाली